

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 363]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 7 सितम्बर 2021—भाद्र 16, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2021

क्र. एफ-बी-1-16-2021-2-पाँच-(04).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 25 के साथ पठित धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-01-2018-2-पाँच (11), दिनांक 31 मार्च 2018 एवं इस निमित्त जारी अन्य आदेशों को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 01 अप्रैल 2021 से सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में, आबकारी शुल्क, जहाँ तक कि वह नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आबकारी-कर-योग्य वस्तुओं से संबंधित है, उसके (सारणी के) कॉलम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट दरों पर, विहित करती है, अर्थात् :-

सारणी

| अनु. (1) | आबकारी-कर-योग्य वस्तुओं का विवरण (2) | आबकारी शुल्क की दर (3) |
|-------------|---|------------------------------|
| 1. | देशी मदिरा (25 डिग्री अन्डर प्रूफ देशी मदिरा मसाला तथा 50 डिग्री अन्डर प्रूफ देशी मदिरा प्लेन) | रुपये 330/- प्रति प्रूफ लीटर |
| 2. | असैनिक (सिविलियन) के लिए विदेशी मदिरा (स्पिरिट) जब प्रति पेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर (12 क्वार्ट बोटल अथवा समतुल्य) हो | आबकारी शुल्क की दर |
| | (1) रुपये 800/- तक | रुपये 430/- प्रति प्रूफ लीटर |
| | (2) रुपये 801/- और रुपये 1,000/- तक | रुपये 580/- प्रति प्रूफ लीटर |
| | (3) रुपये 1,001/- और रुपये 1,200/- तक | रुपये 725/- प्रति प्रूफ लीटर |
| | (4) रुपये 1,201/- और रुपये 1,400/- तक | रुपये 800/- प्रति प्रूफ लीटर |

| (1) | (2) | (3) |
|------|---|---|
| (5) | रुपये 1,401/- और रुपये 1,600/- तक | रुपये 900/- प्रति प्रूफ लीटर |
| (6) | रुपये 1,601/- और रुपये 2,150/- तक | रुपये 1,000/- प्रति प्रूफ लीटर |
| (7) | रुपये 2,151/- और रुपये 3,150/- तक | रुपये 1,130/- प्रति प्रूफ लीटर |
| (8) | रुपये 3,151/- और रुपये 4,150/- तक | रुपये 1,360/- प्रति प्रूफ लीटर |
| (9) | रुपये 4,151/- और रुपये 6,150/- तक | रुपये 1,790/- प्रति प्रूफ लीटर |
| (10) | रुपये 6,151/- और रुपये 8,150/- तक | रुपये 2,130/- प्रति प्रूफ लीटर |
| (11) | रुपये 8,151/- और रुपये 11,000/- तक | रुपये 2,785/- प्रति प्रूफ लीटर |
| (12) | रुपये 11,000/- से अधिक | रुपये 3,510/- प्रति प्रूफ लीटर |
| 3. | असैनिक (सिविलियन) के लिए विदेशी मदिरा (माल्ट) बीयर | |
| (क) | बीयर एवं मानक सीलबंद बोतल/केन में विक्रय की जाने वाली ड्राट (खुली) बीयर. | एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 150 प्रतिशत. |
| (ख) | अन्य ड्राट (खुली) बीयर | रुपये 80/- प्रति बल्क लीटर |
| (ग) | लो-अल्कोहोलिक बिवरेजेस (पिये जाने के लिए तैयार) जिसमें 10 प्रतिशत तक एल्कोहल हो तथा जिसकी कीमत प्रति केस रुपये 700/- से अधिक हो. | रुपये 120/- प्रति बल्क लीटर |
| 4. | मद्य (वाईन) | |
| (क) | मद्य (वाईन) | रुपये 125/- प्रति बल्क लीटर |
| (ख) | मध्यप्रदेश राज्य में उत्पादित अंगूर से बनाई गई मध्यप्रदेश राज्य में ही निर्मित मद्य (वाईन). | शून्य |
| 5. | भांग | |
| (क) | भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की चालू दुकानों के अनुज्ञतिधारियों के लिए. | रुपये 100/- प्रति किलोग्राम |
| (ख) | उपरोक्त खण्ड (क) से भिन्न अनुज्ञतिधारियों/संस्थाओं के लिए | रुपये 200/- प्रति किलोग्राम |
| 6. | रक्षा सेवा कार्मिकों को प्रदाय की जाने वाली, भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर देय आबकारी शुल्क असैनिक (सिविलियन्स) द्वारा, रम के लिए दी जाने वाली शुल्क के 30 प्रतिशत की दर से तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा [व्हिस्की, ब्राण्डी, जिन, वोदका, वाईन एवं माल्ट (बीयर) इत्यादि] के लिए दी जाने वाली शुल्क के 45 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी. | |
| | स्पष्टीकरण-1 विदेशी मदिरा (स्पिरिट) में सम्मिलित हैं, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन, वोदका, लिकर्स, कार्डियल, बिटर तथा उनके मिश्रण तथा अन्य स्पिरिट युक्त निर्मितियां, जिसमें स्पिरिट मुख्य घटक हो. | |
| | स्पष्टीकरण-2 माल्ट मदिरा में सम्मिलित है, बीयर, स्टाउट, एल पोटर, साईडर आदि. | |
| | स्पष्टीकरण-3 "रक्षा सेवा कार्मिक" से अभिप्रेत है, ऐसा रक्षा सेवा कार्मिक, जो रक्षा कैन्टीन संगठन के माध्यम से विदेशी मदिरा प्राप्त करते हैं और उसमें सम्मिलित है सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कार्मिक तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक, जो संबंधित प्राधिकृत थोक रक्षा कैन्टीन के माध्यम से विदेशी मदिरा प्राप्त करते हैं." | |
| 7. | यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी. | |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2021

क्र. बी-1-16-2021-2-पाँच (04).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-16-2021-2-पाँच (04), दिनांक 7 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 07th September 2021

No.-F-B-1-16-2021-2-V (04).—In exercise of the powers conferred by Section 25 read with Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and in supersession of this Department's earlier Notification No. F-B-1-01-2018-2-V (II), dated 31st March 2018 and other orders, issued in this behalf, the State Government, hereby, prescribes the rates of excise duty in so far as it relates to the excisable articles specified in column (2) of the table below, at the rates specified in the corresponding entries in column (3) thereof, with effect from 1st April 2021 in whole of the State of Madhya Pradesh, namely :—

TABLE

| S.No. (1) | Description of Excisable Articles (2) | Rate of excise duty (3) |
|--------------|--|--|
| 1. | Country Spirit (25 degree under proof Spiced Country Spirit and 50 degree under proof Plain Country Spirit) | Rs. 330/- per proof litre |
| 2. | Foreign Liquor (Spirit) for Civilians When per case (12 quart bottles or equivalent) declared Ex-Foreign Liquor Warehouse price is, | Rate of excise duty |
| | (1) upto Rs. 800/- | Rs. 430/- per proof litre |
| | (2) Rs. 801/- and upto Rs. 1,000/- | Rs. 580/- per proof litre |
| | (3) Rs. 1,001/- and upto Rs. 1,200/- | Rs. 725/- per proof litre |
| | (4) Rs. 1,201/- and upto Rs. 1,400/- | Rs. 800/- per proof litre |
| | (5) Rs. 1,401/- and upto Rs. 1,600/- | Rs. 900/- per proof litre |
| | (6) Rs. 1,601/- and upto Rs. 2,150/- | Rs. 1000/- per proof litre |
| | (7) Rs. 2,151/- and upto Rs. 3,150/- | Rs. 1130/- per proof litre |
| | (8) Rs. 3,151/- and upto Rs. 4,150/- | Rs. 1360/- per proof litre |
| | (9) Rs. 4,151/- and upto Rs. 6,150/- | Rs. 1790/- per proof litre |
| | (10) Rs. 6,151/- and upto Rs. 8,150/- | Rs. 2130/- per proof litre |
| | (11) Rs. 8,151/- and upto Rs. 11,000/- | Rs. 2785/- per proof litre |
| | (12) exceeds Rs. 11,000/- | Rs. 3510/- per proof litre |
| 3. | Foreign Liquor (Malt) Beer for Civilians | |
| | (a) Beer and Draught Beer sold in Standard sealed bottles/can. | 150 percent of per case Ex-Foreign Liquor Ware house price. |
| | (b) Other Draught Beer | Rs. 80/- per bulk litre |
| | (c) Low-Alcoholic Beverages (Ready to drink), which contains upto 10 percent of alcohol and the price per case is more than Rs. 700/-. | Rs. 120/- per bulk litre |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|---|--------------------------|
| 4. | Wines | |
| (a) | Wines | Rs. 125/- per bulk litre |
| (b) | Wine made from grapes produced in State of Madhya Pradesh and Manufactured in State of Madhya Pradesh. | Zero |
| 5. | Bhang | |
| (a) | For licensees of disposed shops of Bhang, Bhang-Ghota and Bhang-Sweets. | Rs. 100/- per kilogram |
| (b) | For licensees/institutions other than above clause (a) | Rs. 200/- per kilogram |
| 6. | The excise duty of the indian made foreign liquor issued to the defence services personnel shall be charged for Rum at the rate of 30 percent and for other indian made foreign liquor [Whisky, Brandy, Gin, Vodka, Wine, Malt (Beer) etc.] at the rate of 45 percent of duty, payable by the civilians. | |
| | Explanation-1- Foreign liquor (Spirit) includes Whisky, Brandy, Rum, Gin, Vodka, Liquor, Cordial, Bitter and their mixtures and other preparations, containing spirit as main ingredient. | |
| | Explanation-2- Malt liquor includes Beer, Stout, Ale, Porter, Cider etc. | |
| | Explanation-3- "Defence services" personnel shall mean defence service personnel receiving foreign liquor through the Defence Canteen Organization and includes the personnel of the Border Security Force, Indo-Tibetan Border Police and Central Industrial Security Force, receiving foreign liquor through the respective authorized wholesale military canteens." | |
| 7. | This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1 st April 2021. | |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAV, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2021

क्र. एफ-बी-1-16-2021-2-पाँच-(05).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ड), (छ) एवं (ज)के साथ पठित उपधारा (3) के परन्तुक तथा धारा 63 और मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-01-2018-2-पाँच (12), दिनांक 31 मार्च 2018, अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-01-2018-2-पाँच (13), दिनांक 31 मार्च 2018, अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-01-2018-2-पाँच (14), दिनांक 31 मार्च 2018 तथा इस निमित्त जारी अन्य आदेशों को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में दर्शाई गई प्रविष्टि के लिए कॉलम (3) में दर्शाए गए अनुज्ञप्ति रेस्टोरेंट बार (एफ.एल.-2), होटल बार (एफ.एल.-3), रिसोर्ट बार (एफ.एल.-3-क) एवं क्लब बार (एफ.एल.-4) अनुज्ञप्तियों के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस विहित करती है, अर्थात् :-

सारणी

(क) रेस्टोरेंट बार (एफ.एल.-2) लायसेंस :-

| अनु. | रेस्टोरेंट का स्थान | अनुज्ञप्ति फीस प्रति वर्ष 2021-22 |
|------|---|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर जिले के नगर निगम क्षेत्र में | रु. 15,50,000/- |
| 2. | उज्जैन, सागर एवं रीवा जिले के नगर निगम क्षेत्र में | रु. 14,00,000/- |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|---|--|
| 3. | उपरोक्त से भिन्न किसी नगर निगम क्षेत्र में | रु. 12,00,000/- |
| 4. | उपरोक्त से भिन्न क्षेत्र में | रु. 10,00,000/- |
| 5. | कूज बोट | रु. 1,50,000/- |
| 6. | मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग/विकास निगम के स्वामित्व तथा उनके द्वारा संचालित होटल. | स्थान अनुसार प्रायवेट सेक्टर के द्वारा देय अनुज्ञप्ति फीस का 50 प्रतिशत. |

(ख) होटल बार (एफ.एल.-3) लायसेंस :-

| अनु. | होटल का स्थान | अनुज्ञप्ति फीस प्रति वर्ष 2021-22 |
|------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर जिले के नगर निगम क्षेत्र में | रु. 20,00,000/- |
| 2. | इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर जिले में नगर निगम क्षेत्र से भिन्न स्थित क्षेत्र में. | रु. 12,50,000/- |
| 3. | उज्जैन, सागर एवं रीवा जिले के नगर निगम क्षेत्र में | रु. 13,50,000/- |
| 4. | उज्जैन, सागर एवं रीवा जिले में नगर निगम क्षेत्र से भिन्न स्थित क्षेत्र में | रु. 10,50,000/- |
| 5. | उपरोक्त से भिन्न, किसी जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में | रु. 10,50,000/- |
| 6. | उपरोक्त से भिन्न | रु. 8,50,000/- |
| 7. | ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैरिटेज होटल, जो पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हो. | रु. 4,00,000/- |
| 8. | मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग/विकास निगम के स्वामित्व तथा उनके द्वारा संचालित होटल. | स्थान के अनुसार प्रायवेट सेक्टर के होटल द्वारा देय अनुज्ञप्ति फीस का 50 प्रतिशत. |

(ग) रिसोर्ट बार (एफ.एल.-3-क) लायसेंस :-

| अनु. | रिसोर्ट/होटल का स्थान | अनुज्ञप्ति फीस प्रति वर्ष 2021-22 |
|------|--|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | वन्य क्षेत्र में स्थित 05 कमरे वाले रिसोर्ट हेतु | रु. 50,000/- |
| 2. | वन्य क्षेत्र में स्थित 08-10 कमरे वाले रिसोर्ट हेतु | रु. 75,000/- |
| 3. | वन्य क्षेत्र में स्थित 10 से अधिक कमरे वाले रिसोर्ट हेतु | रु. 1,00,000/- |
| 4. | अन्य पर्यटन क्षेत्र | रु. 2,50,000/- |

(घ) ईको-एडवेंचर पर्यटन के अधीन चिन्हित श्रेणी के स्थलों पर होटल बार अनुज्ञप्ति :-

| अनु. | स्थान | अनुज्ञप्ति फीस प्रति वर्ष 2021-22 |
|------|-----------------|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | क-श्रेणी के लिए | रु. 3,00,000/- |
| 2. | ख-श्रेणी के लिए | रु. 2,50,000/- |
| 3. | ग-श्रेणी के लिए | रु. 2,00,000/- |

(ङ) क्लब बार (एफ.एल.-4) लायसेंस :-

| अनु. | क्लब बार (एफ.एल.-4) | अनुज्ञप्ति फीस प्रति वर्ष 2021-22 |
|------|-----------------------------|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | क्लब बार (एफ.एल.-4) लायसेंस | रु. 2,50,000/- |

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2021

क्र. बी-1-16-2021-2-पाँच (05).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-16-2021-2-पाँच (05), दिनांक 7 सितम्बर, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 7th September, 2021

No.-F-B-1-16-2021-2-V (05)—In exercise of the powers conferred by clauses (e), (g) and (h) of sub-section (2) of Section 62 read with proviso of sub-section (3) and Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (2) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor rules, 1996 and in supersession of this Department's Notification No. F-B-1-01-2018-2-V-(12) dated 31st march 2018, Notification No. F-B-1-01-2018-2-V-(13), dated 31st March 2018 Notification No. F-B-1-01-2018-2-V-(14) dated 31st March, 2018 and other orders issued in this behalf, the State Government, hereby, prescribes the annual licence fee for Restaurant Bar(F. L.-2), Hotel Bar (F.L.-3), Resort Bar (F. L.-3-A) and Club Bar (F. L.-4) licences as shown in column (3) of the table below for the entry shown in column (2) thereof, namely:—

TABLE

(A) Restaurant Bar (F. L.-2) licence:—

| S.No. | Place of Restaurant | Licence fee per annum 2021-22 |
|-------|--|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | In Municipal Corporation area of Indore, Bhopal, Jabalpur and Gwalior districts. | Rs. 15,50,000/- |
| 2. | In Municipal Corporation area of Ujjain, Sagar and Rewa districts. | Rs. 14,00,000/- |
| 3. | In any Municipal Corporation area, other than above | Rs. 12,00,000/- |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|---|---|
| 4. | Other than above area | Rs. 10,00,000/- |
| 5. | Cruise boat | Rs. 1, 50, 000/- |
| 6. | Hotel owned and run by Madhya Pradesh Tourism Department/Development Corporation. | As per location, 50% of that payable by private sector. |

(B) Hotel Bar (F. L.-3) licence:—

| S.No. | Place of Restaurant | Licence fee per annum 2021-22 |
|-------|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | In Municipal Corporation area of Indore, Bhopal, Jabalpur and Gwalior districts. | Rs. 20,00,000/- |
| 2. | For areas of Indore, Bhopal, Jabalpur and Gwalior district situated other than Municipal Corporation area. | Rs. 12,50,000/- |
| 3. | In Municipal Corporation area, of Ujjain, Sagar and Rewa districts. | Rs. 13,50,000/- |
| 4. | Situated in other area of Ujjain, Sagar and Rewa districts other than Municipal Corporation area. | Rs. 10,50,000/- |
| 5. | In any town area of district head quarter, other than above. | Rs. 10,50,000/- |
| 6. | Other than above | Rs. 8,50,000/- |
| 7. | Heritage Hotel situated in rural areas which is recognized by Tourism Department. | Rs. 4,00,000/- |
| 8. | Hotel owned and run by Madhya Pradesh Tourism Department/Development Corporation. | As per location, 50% of that payable by private sector. |

(C) Resort Bar (F. L.-3-A) Licences:—

| S.No. | Place of Resort/Hotel | Licence fee per annum 2021-22 |
|-------|--|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Resort situated in Forest area having 05 rooms | Rs. 50,000/- |
| 2. | Resort situated in Forest area having 08-10 rooms | Rs. 75,000/- |
| 3. | Resort situated in Forest area having more than 10 rooms | Rs. 1,00,000/- |
| 4. | Other tourist area | Rs. 2,50,000/- |

(D) Hotel, Bar licence at category of place identified under eco-adventure tourism

| S.No. (1) | Place (2) | Licence fee per annum 2021-22 (3) |
|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 1 | A-Category | Rs. 3,00,000/- |
| 2 | B-Category | Rs. 2,50,000/- |
| 3 | C-Category | Rs. 2,00,000/- |

(E) Club Bar (F. L.-4) Licence:—

| S.No. (1) | Club Bar (F.L.-4) (2) | Licence fee per annum 2021-22 (3) |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Club Bar (F. L.-4) Licence | Rs. 2,50,000/- |

2. This notification shall be deemed to have come into force, with effect from 1st April 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAV, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2021

क्र. एफ-बी-1-16-2021-2-पाँच (06).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62, धारा 63 एवं धारा 66 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित रेस्टोरेंट बार (एफ.एल.-2), होटल बार (एफ. एल.-3) एवं रिसोर्ट बार (एफ. एल.-3क) को मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 20 के प्रावधानों से छूट प्रदान करती है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2021

क्र. बी-01-16-2021-2-पाँच (06).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-01-16-2021-2-पाँच (06), दिनांक 7 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 7th September 2021

No.-F-B-1-16-2021-2-V (06)—In exercise of the powers conferred by Section 62, Section 63 and Section 66 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, exempts "Restaurant Bar (F. L.-2), Hotel Bar (F. L.-3) and Resort Bar (F. L.-3 A) run by Madhya Pradesh Tourism Development Corporation from the provisions of rule 20 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996."

2. This Notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st April 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAV, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2021

क्र. एफ-बी-1-16-2021-2-पाँच-(07).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 एवं धारा 63 तथा मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक (25) बी-1-87-05-2-पाँच, दिनांक 29-03-2006 एवं इस निमित्त जारी अन्य आदेशों के सुसंगत प्रावधान को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, समस्त विनिर्माताओं की बी.आई.ओ. मदिरा के लिये एफ. एल.-10-बी लायसेंस की समेकित वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस रुपए 05.00 लाख नियत करती है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2021

क्र. बी-01-16-2021-2-पाँच (07).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-01-16-2021-2-पाँच (07), दिनांक 7 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 7th September 2021

No.-F-B-1-16-2021-2-V (07).—In exercise of the powers conferred by Section 62 and Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (2) of rule 8 of Madhya Pradesh Foreign Liquor rules, 1996 and in supersession of this Department's earlier Notification No. (25) B-1-87-05-2-V, dated 29 March 2006 and in supersession of relevant provision of other orders issued in this behalf, the State Government, hereby, fixes the consolidated annual licence fee for F. L.-10 B licence for BIO liquor of all the manufacturers as Rs. 05.00 lakh.

2. This Notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st April 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAV, Dy. Secy

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2021

क्र. एफ-बी-1-16-2021-2-पाँच-(08).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 27 की उपधारा (1) एवं धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-01-2018-2-पाँच-(09), दिनांक 31 मार्च 2018 एवं इस निमित्त जारी अन्य आदेशों को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश बीयर तथा वाईन नियमों के अधीन जारी बी-3 (मद्य निर्माणशाला अनुज्ञप्ति) की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस रुपए 15.00 लाख विहित करती है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2021

क्र. बी-01-16-2021-2-पाँच (08).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-01-16-2021-2-पाँच (08), दिनांक 7 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 7th September 2021

No.-F-B-1-16-2021-2-V (08).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 27 and Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), and in supersession of this department's No. F-B-1-01-2018-2-V-(09), dated 31st March 2018 and other orders issued in this behalf, the State Government, hereby, prescribes the annual licence fee of B-3 (brewery licence), issued under the Madhya Pradesh Beer and Wine Rules, as Rs. 15.00 lakh.

2. This Notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st April 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAV, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2021

क्र. एफ-बी-1-16-2021-2-पाँच-(09).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 एवं धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

- (1) “(एक)—प्ररूप एफ. एल. 2 में, शर्त क्रमांक 7-क में, अंक ‘240’ के स्थान पर, अंक ‘480’ तथा अंक ‘600’ के स्थान पर, अंक ‘1200’ स्थापित किए जाएं;
 - (दो)—प्ररूप एफ.एल. 3 में, शर्त क्रमांक 6-क में, अंक ‘240’ के स्थान पर, अंक ‘600’ तथा अंक ‘480’ के स्थान पर, अंक ‘1200’ स्थापित किए जाएं; और
 - (तीन)—प्ररूप एफ.एल.-3क में, शर्त क्रमांक 5 में, अंक ‘240’ के स्थान पर, अंक ‘600’ तथा अंक ‘480’ के स्थान पर, अंक ‘1200’ स्थापित किए जाएं.”
- (2) “(एक)—नियम 8 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में शब्द एवं अंक ‘एफ. एल. 4क’ का लोप किया जाए;
 - (दो)—नियम 8 के उपनियम (1) के खण्ड ‘(घघ)’ का लोप किया जाए;
 - (तीन)—नियम 8 के उपनियम (2), (3), (6) एवं (7) में, शब्द एवं अंक ‘एफ.एल. 4क’ का लोप किया जाए;
 - (चार)—नियम 14 के उपनियम (3) में शब्द एवं अंक ‘एफ. एल. 4क’ जहां कहीं भी वह आए हों का लोप किया जाए;
- (पांच)—नियम 14 के उपनियम (12) में, शब्द एवं अंक ‘एफ.एल. 4क’ का लोप किया जाए; और
- (छह)—नियम 18 के उपनियम (6), (9) एवं (12) में, शब्द एवं अंक ‘एफ.एल.-4क’ का लोप किया जाए.”
- (3) नियम 8 के उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“8 (1-क) रेस्टोरेंट बार, होटल बार, रिसोर्ट बार एवं क्लब बार के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विहित समय के पश्चात् बार संचालन के लिए अनुज्ञा चाही जाती है, तो 5,000 रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त फीस लेकर 2 घण्टे की अतिरिक्त कालावधि, कलक्टर द्वारा दी जायेगी. ऐसी अनुज्ञा प्राप्त कर अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्त परिसर में मदिरा की बिक्री रात्रि 01.30 बजे तक एवं उपभोग का समय रात्रि 02.00 बजे तक रख सकेगा. यह विशिष्ट अनुज्ञा उपरोक्त लायसेंसों हेतु वित्तीय वर्ष में अधिकतम आठ दिवस हेतु दी जा सकेगी. यह अनुज्ञा कलक्टर के विवेकाधीन रहेगी.”
- (4) नियम 8 के उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों, तथा ऐसे होटलों जिन्हें राज्य शासन द्वारा विशिष्ट श्रेणी के होटल के रूप में अधिसूचित किया जाए, के बार लायसेंसों का नवीकरण 3 वर्ष के लिये, राज्य शासन द्वारा विहित प्रक्रिया अनुसार एक मुश्त किया जाए.”

यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2021

क्र. बी-01-16-2021-2-पाँच (09).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-01-16-2021-2-पाँच (09), दिनांक 7 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 7th September 2021

No.-F-B-1-16-2021-2-V (09)—In exercise of the powers conferred by Section 62 and Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, namely :—

AMENDMENT

- (1) "(i) In Form F. L.-2, in condition number 7-A, for the figure '240', the figure '480' and for the figure '600', the figure '1200' shall be substituted;
- (ii) In Form F. L.-3, in condition number 6-A,- for the figure '240', the figure '600' and for the figure '480', the figure '1200' shall be substituted; and
- (iii) In Form F. L.-3A, in condition number 5, for the figure '240', the figure '600' and for the figure '480', the figure '1200' shall be substituted."
- (2) "(i) In clause (a) of sub-rule (1) of rule 8 word and figure 'F. L.-4A' shall be omitted;
- (ii) Clause 'dd' of sub-rule (1) of rule 8 shall be omitted;
- (iii) In sub-rule (2), (3), (6) and (7) of rule 8 word and figure 'FL.-4A' shall be omitted;
- (iv) The word and figure 'FL.-4A' wherever they occur in sub-rule (3) of rule 14 shall be omitted;
- (v) In sub-rule (12) of rule 14 word and figure 'F. L.-4-A' shall be omitted; and
- (vi) In sub-rule (6), (9) and (12) of rule 18 word and figure 'F. L.-4A' shall be omitted."
- (3) After sub-rule(1) of rule 8, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"8(1-A) Permission for operating the Restaurant Bar, Hotel Bar, Resort Bar and Club Bar after the prescribed time by the licensee, may be granted by the Collector for an additional period of two hours, on payment of additional fee of Rs. 5,000 per day. Under such permission the licensee may sell liquor in the licensed premises upto 01:30 Am and the time for the consumption of liquor may be till 02:00 Am. This specific permission may be granted for above bar licenses for a maximum period of 08 days in one financial year. Permission shall be given at the discretion of the Collector."

- (4) After sub-rule (2) of rule 8, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that the bar licenses of hotels of Madhya Pradesh Tourism Development Corporation and the hotels notified by State Government under special category shall be renewable for 3 years at a time, as per the procedure laid down by State Government."

2. This notification shall be deemed to have come into force, with effect from 1st April 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAV, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2021

क्र. एफ-बी-1-16-2021-2-पाँच-(10).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 63 के साथ पठित धारा 62 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-20-2017-2-पाँच, (21) दिनांक 13 जुलाई, 2017 को आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 10 में, विद्यमान तृतीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि देशी मदिरा भण्डारण भण्डागार में बोतलबंद देशी मदिरा के भण्डारण पर अधिकतम अनुज्ञेय छीजन कांच की बोतलों के लिए 0.1 प्रतिशत तथा पैट बोतलों के लिए 0.05 प्रतिशत होगी.”

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर, 2021

क्र. बी-01-16-2021-2-पाँच (10).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-01-16-2021-2-पाँच (10), दिनांक 7 सितम्बर, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 07th September 2021

No.-F-B-1-16-2021-2-V (10)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (d) of sub-section (2) of Section 62 read with Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (II of 1915) and in partial supersession of this Department's earlier Notification No. F-B-1-20-2017-2-V(21), dated 13th July, 2017 issued in this behalf, the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Country Spirit Rules, 1995, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules, in Rule 10, for the existing third proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided also that the maximum wastage allowed on storage of bottled country liquor stocked in a country liquor warehouse shall be 0.1 percent for glass bottles and 0.05 percent for Pet bottles."

2. This notification shall be deemed to have come into force, with effect from 1st April, 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAV, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2021

क्र. एफ-बी-1-16-2021-2-पाँच-(11).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 63 के साथ पठित धारा 62 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-20-2017-2-पाँच-21 (22) दिनांक 13 जुलाई, 2017 को आंशिक रूप से अतिष्ठित करते

हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1995 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

नियम 17 में, उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(2) एफ. एल. 6, एफ. एल. 10-क, एफ. एल. 10-ख अनुज्ञप्तिधारी के पास एवं विदेशी मदिरा भाण्डागार में बोतलबंद विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन के भण्डारण में अधिकतम त्रैमासिक अनुज्ञेय छीजन नीचे विहित किए गए अनुसार दी जाएगी :—

| | | |
|---------------------------|--|---------------|
| (क) विदेशी मदिरा, स्पिरिट | (एक) पेट बोतलों में | 0.05 प्रतिशत |
| | (दो) कांच की बोतलों में एवं बॉटल्ड इन ऑरिजन (बी. आई. ओ.) के लिए. | 0.1 प्रतिशत |
| (ख) बियर / वाईन | (एक) केन में | 0.1 प्रतिशत |
| | (दो) कांच की बोतलों में | 0.2 प्रतिशत.” |

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2021

क्र. बी-01-16-2021-2-पाँच (11).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-01-16-2021-2-पाँच (11), दिनांक 7 सितम्बर, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 07th September 2021

No.-F-B-1-16-2021-2-V (11)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (d) of sub-section (2) of Section 62 read with Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and in partial supersession of this Department's earlier Notification No. F-B-1-20-2017-2-V(21), dated 13th July, 2017 issued in this behalf, the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Country Spirit Rules, 1995, namely :—

AMENDMENT

In rule 17, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(2) Maximum Quarterly wastage allowed on storage of bottled foreign liquor stocked with F. L. 6, F. L. 10-A, F. L.-10-B licensee and in Foreign Liquor Warehouse shall be as prescribed below :—

| | | |
|---------------------------|---|---------------|
| (A) Foreign Liquor Spirit | (i) In pet Bottles | 0.05 percent |
| | (ii) In Glass Bottles and for Bottled in Origin (B.I.O.) | 0.1 percent |
| (B) Beer/Wine | (i) In Cans | 0.1 percent |
| | (ii) In Glass Bottles | 0.2 percent.” |

2. This notification shall be deemed to have come into force, with effect from 1st April, 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAV, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर, 2021

क्र. एफ-बी-1-16-2021-2-पाँच-(12).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 एवं धारा 63 तथा मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 9 के उपनियम (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-01-2018-पाँच (17), दिनांक 31 मार्च 2018 में, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

“1. अनुक्रमांक—4, 8 एवं 9 का लोप किया जाए.

2. अनुक्रमांक—14 के पश्चात्, नया अनुक्रमांक—15 अन्तःस्थापित किया जाए:—

“15 बी.आई.ओ. विदेशी मदिरा के सभी लेबलों के पंजीयन/नवीकरण हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष अथवा उसके किसी भाग के लिए समेकित फीस रुपये 10.00 लाख.”.

3. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2021

क्र. बी-01-16-2021-2-पाँच (12).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-01-16-2021-2-पाँच (12), दिनांक 7 सितम्बर, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 7th September 2021

No.-F-B-1-16-2021-2-V (12)—In exercise of the powers conferred by Section 62 and Section 63 of Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub rule (2) and (3) of rule 9 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, the State Government, hereby, makes the following amendment in the Notification No. F-B-1-01-2018-2-V(17), dated 31st March 2018 issued by the department previously, namely:—

AMENDMENT

In the said notification,—

“1. Serial number-4, 8 and 9 shall be omitted.

2. After serial number-14 a new serial number 15 shall be inserted:—

“15. Consolidated fee of Rs. 10.00 lakh for the Registration/Renewal of all labels of BIO foreign liquor for every financial year or part thereof.”.

3. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAV, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2021

क्र. एफ-बी-1-16-2021-2-पाँच-(13).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 एवं 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश आसवनी नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 3 के उपनियम (11) में, शब्द “ग्यारह लाख पचास हजार” के स्थान पर शब्द “अठारह लाख” स्थापित किए जाएं.
2. नियम 4 के उपनियम (43) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:—
“(44) आसवनी से अन्य स्थान के लिए रेक्टिफाइड स्पिरिट अथवा ई.एन.ए. का परिवहन एवं निर्यात करने वाले सभी वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक लॉक विद जी. पी. एस. का उपयोग अनिवार्य रहेगा.”
3. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2021

क्र. बी-01-16-2021-2-पाँच (13).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-01-16-2021-2-पाँच (13), दिनांक 7 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 7th September 2021

No.-F-B-1-16-2021-2-V (13)—In exercise of the powers conferred by Section 62 and Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Distillery Rules, 1995, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. “In sub-rule (11) of rule 3, for the words “Eleven Lakh Fifty Thousand” the words “Eighteen Lakh” shall be substituted.”
2. After sub-rule (43) of rule 4, the following sub-rule shall be inserted, namely:—
“(44). It shall be mandatory to use electronic lock with G. P. S. in all the vehicles transporting or exporting Rectified Spirit or E. N. A. from distillery to any other place.”
3. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAV, Dy. Secy.